कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म.प्र.)

क्रं. 1656 से 1657/दो–12–01/2023 पन्ना, दिनांक 29.4.24

::नीलामी विज्ञप्ति::

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय पन्ना के नवीन न्यायालय में रखी अनुपयोगी सामग्री की सूची अनुसार सामग्री जिसका आपसेट मूल्य राशि–1,05,055 (एक लाख पांच हजार पचपन रूपये) के विक्रय हेतु नीलामी दिनांक–25.04.2024 दिन शनिवार को प्रातः 11:00 खुली निविदा के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाना है ।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना के नजारत अनुभाग, पन्ना में राशि–200/–जमा कर तथा रसीद प्राप्त कर उक्त रसीद सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी के संबंध में फर्नीचर का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में इस स्थापना पर पदस्थ श्री जवाहरलाल गुप्ता, जिला नाजिर पन्ना नाजरत अनुभाग जिला न्यायालय पन्ना से उनके मोबाईल नम्बर–7974542935 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईड (www.mphighcourt.nic.in) एवं जिला न्यायालय पन्ना की वेबसाईट (www.districk.courts.gov.in panna) पर देखी जा सकती है ।

उपरोक्त अनुपयोगी सामग्री नीलामी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार हैः–

निविदा शर्ते

ए– उक्त सामग्री की आफसेट वेल्यु रूपये–**1,05,055 (एक लाख पांच हजार पचपन रूपये) शासकीय बोली** निर्धारित है ।

बी– उपरोक्त सामग्री की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु प्रत्येक बोलीदार को अमानत राशि के रूप में 200/–रूपये नजारत अनुभाग पन्ना में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। उक्त राशि जमा करने के उपरांत ही वह नीलामी में भाग ले सकेगें तथा उक्त तथा उक्त राशि वापिसी योग्य नहीं होगी ।

सी– किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।

डी– संबंधित अनुपयोगी सामग्री न्यायालय भवन में उपलब्ध है इस हेतु स्थापना पर पदस्थ श्री जवाहलाल गुप्ता, जिला नाजिर नजारत अनुभाग पन्ना से मोबाईल नम्बर–7974542935 पर संपर्क करें ।

इ– बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी सामग्री को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गई है ऐसा माना जावेगा ।

एफ– नीलामी समाप्त होने के पश्चात् अधिकतम बोली लगाने बाले की राशि का अनुमोदन होने तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर 03 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना के नाम से ऑनलाईन चालान के माध्यम से हेड–0070–01–800–9691 में जमा कराया जाकर ऑनलाईन चालन की रसीद मूलतः दो प्रतियों में जमा कर सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।

जी– अनुपयोगी सामग्री विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर केता (बोलीकर्ता को) उक्त सामग्री को स्वयं के व्यय पर यथा स्थिति में न्यायालय से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)

(01)

स.क.	आईटम	मात्रा
1	कूलर लोहे का	05
2	कूलर प्लास्टिक का	05

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	आईटम	मात्रा
1	टाईप राईटर मशीन	01

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	आईटम	मात्रा
1	बैट्री	08
2	गीजर	01
3	माईक, स्टैंण्ड	01

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	आईटम	मात्रा
1	ए0सी0	02

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	आईटम	मात्रा
1	टायर	10
2	सायलेन्सर	09(36 कि0ग्रा0)

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	फर्नीचर का नाम	मात्रा
1	लकडी की कुर्सी	40+8=48
2	लकडी की अलमारी	04+4=8
3	लकडी के रैक	02
4	लकडी की टेबिल	10
5	सोफा	07

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	फर्नीचर का नाम	मात्रा
1	एस.मॉडल की पाईप कुर्सी	45+6=51
2	रिवॉलविंग चेयर	18+5=23
3	स्टील पाईप तांत कुर्सी	02
4	लोहे की अलमारी	05
5	लोहे के रैक	08
6	पाईप (लोहा) टेबिल	05+4=9
7	लकड़ी की बैंच,पाईप (लोहा) की बैंच	11
8	लकड़ी के स्टूल, पाईप (लोहा) के स्टूल	04+2=6
9	कुर्सी लोहे की तात वाली	07

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

स.क.	**फर्नीचर का नाम**	**मात्रा**
1	फाईवर की कुर्सी	35+3=38

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)